सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
माघ 01, मंगलवार, *शाके 1946-* जनवरी 21, 2025 *Magha 01, Tuesday, Saka 1946- January 21, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

इंदिरा गांधी नहर विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 07, 2025

संख्या एफ 3(2) इगानवि/भू.अ./2024 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर में फव्वारा सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु कानसर माईनर के 6 चकों की 11 डिग्गियों, लेघा वितरिका के 8 चकों की 11 डिग्गियों, बिसरासर वितरिका के 1 चक की 2 डिग्गियां, लेघा माईनर के 3 चकों की 5 डिग्गियों, जबरासर माईनर के 1 चक की 1 डिग्गी, कल्लासर माईनर के 1 चक की 1 डिग्गी व खुईयां माईनर 1 चक की 1 डिग्गी सहित कुल 21 चकों की 32 डिग्गियों के निर्माण कार्य हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, रावतसर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा- 4(6) के अन्तर्गत सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी इ.गा.न.प., बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न-सूची

विवरण

फॉर्म-2

(देखे नियम-5)

पार्ट-बी

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना

समाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, रावतसर।
(क)	प्रस्तावित प्रयोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	चौ. कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के कानसर माईनर के 6 चकों, लेघा वितरिका के 8 चकों, बिसरासर वितरिका के 1 चक, लेघा माईनर के 3 चकों, जबरासर माईनर के 1 चक, कल्लासर माईनर के 1 चक, खुईयां माईनर के 1 चक, कुल 21 चकों में फव्वारा सिंचाई पद्धति स्थापित करने हेतु 32 डिग्गियों के निर्माण हेतु जिला हनुमानगढ़ तह. नोहर की ग्राम पंचायत कानसर की 68 बीघा, ग्राम पंचायत खुईयां की 16 बीघा, ग्राम पंयायत सिरंगसर की 4 बीघा, ग्राम पंचायत जबरासर की 4 बीघा व तह. पल्लू की ग्राम पंचायत बिसरासर की 4 बीघा, ग्राम पंचायत मायला की 4 बीघा, ग्राम पंचायत झेदासर की 24 बीघा एवं ग्राम पंचायत केलनिया की 4 बीघा कुल 128 बीघा (32.384 है) भूमि अधिग्रहित की जानी है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्धेश्य और महत्त्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अंतर्गत (i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई/सुनवाईया भी दें।	(i) परामर्श (ii) सर्वेक्षण (iii) सार्वजनिक सुनवाई
(ग)	यदि ग्राम सभा या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा-2(1) के अंतर्गत लागू नहीं है
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार

	समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	
(ड.)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन की प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जायेगी।	लागू नही हैं।
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधि जानकारी	अधिशाषी अभियन्ता, सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट खण्ड प्रथम, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, रावतसर।

आज्ञा से,

जितेन्द्र दीक्षित,
शासन उप सचिव
इंदिरा गांधी नहर विभाग जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।